न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
125/2021 (GCMS 2021/125)	18.11.2021	16.09.2022

उनवान

सरकार जरिये लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओम प्रकाश गदिया पुत्र हरक लाल गदिया, उम्र 47 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सावा विक्रेता एवं मालिक श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी सावा

2–मालिक आशा गदिया, श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सावा

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकान्त गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा है, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/FSSA/Notification/2011/497 Dated 06-09-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 937 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा

अधिकारी दिनांक 21.12.2020 को समय 1.00 पी.एम. पर दौरान निरीक्षणार्थ श्री ओम प्रकाश गदिया पुत्र हरक लाल गदिया विक्रेता एवं मालिक श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, सावा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान पर श्री ओम प्रकाश गदिया पुत्र हरक लाल गदिया, विक्रेता एवं मालिक श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, सावा कारोबार कर रहा था जिसने स्वयं को विक्रेता एवं मालिक होना बताया जिसे अपना परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञा पत्र होना बताया। निरीक्षणार्थ दुकान में धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड 120 ग्राम के 120 पैकेट खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर विक्रेता एवं मालिक को दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड 120 ग्राम के 120 पैकेट में से 12 पैकेट जाँच के लिए, जिसके पेटे 180/–रूपए नकद देकर गवाहान, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ की जांच के लिए प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर ए. एम.–1296 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप ए. एम.–1296 नियमानुसार चारों नमूनों पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार व गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को मौके पर पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की आठ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 23.12.2020 को श्री रोशनलाल, सहायक कर्मचारी,

कार्यालय हाजा के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर सीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/166 दिनांक 11.01.2021 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 166 दिनांक 11.01.2021 की पालना में डीओ (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/4086 दिनांक 04.10.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने सबस्टैण्डर्ड धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 हरीश कुमार शर्मा पुत्र रतन लाल शर्मा सरस डेयरी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 इमरान पुत्र बाबू मोहम्मद शेख निवासी सावा एवं गवाह संख्या 4 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़। आवेदक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जिरह किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जिरह किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई उसके बावजूद भी अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जिरह किए जाने हेतु बार–बार अवसर चाहे गए एवं बार–बार बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के बार–बार अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.09.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए तथा बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.09.2022 को नियत की गई। उसके पश्चात् दिनांक 16.09.2022 को अप्रार्थीगण के अधिक्ता सुश्री सेजल शर्मा ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस में वर्णित किया कि उक्त प्रकरण में जिस प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थ की जांच की गई वह धारा 3 (1)(b) एवं 43 के अन्तर्गत NABL Accredited and Notified नहीं है। नियम 2011 के रेग्यूलेशन 2.3.1 के अन्तर्गत जांच हेतु भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा 500 ग्राम होना चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ की मात्रा 360 ग्राम ही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46 (4) के अनुसार प्रतिवादी की अपील बिना किसी उचित सुनवाई के खारिज फरमा दी गई अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 एवं 6 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी

Web Copy - Not Official

पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 6 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 21.12.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 7 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 21.12.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1296** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 80 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1296** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता हैं कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 23.12.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 09 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/166 दिनांक 04.01.2021 से अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 423/ACT 2020/432 Dated 31-12-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर हैं। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 423/ACT 2020/432 Dated 31-12-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार

Report No LS 423/Act 2020/432 Dated 31-12-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Laxmi Kant Gupta Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Dhania Powder (Aashirvaad) Bearing code no, and serial no. AM-1296 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.CH.O of District Chittorgarh on 23-12-2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 80 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be **Salt, Spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.7.2 Dhania Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 28-12-2020 to 31-12-2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample Packed in original company Polyaluminum pack in paper box of 3x120gm.
(ii) Physical appearance:- Coarse yellow powder, no visible insect infestation or mould growth.
(iii) Label :-- Brand- Aashirvaad, Name of food- Dhania Powder, Mfg. & PKd by- M/S sri sai agro Products, 104, sai venkateswara Tower, 4/3 Ashok Nagar Gunter-522007, Andhra Pradesh, Pkd On-03. NOV.2020, Lot No.- DU31, Best Before Nine Months From Packaging, Fssai Lic. No. 10014044000794, Ingredients- Given.

S. No.	Quality characteristics	Name of method of test used	Result	Prescribed standards asper (a) Food Safety and Standards(food products Standards and food additive) Regulations 2011|2.3.10(1)] (b) As per label declaration For proprietary food (c) As per provisions of the Act, rules, and regulations for both the above
1	Moisture	Toluene Distillation method, Ref:- Manual method-Fssai	3.09%	9.0 % by weight max.
2	Total Ash (on dry Basis)	Muffle furnace method, Ref:- Manual method-Fssai	4.92 %	7.0 % by weight max.
3	Ash insoluble in dil.hcl (on dry basis)	Muffle furnace method, Ref:- Manual method-Fssai	0.17 %	1.5 % by weight max.
4	**Volatile oil content (on dry basis)**	**Distillation method, Ref:- Manual method-Fssai**	**0.01 %**	**0.09 % by v/W min.**
5	Insect damaged matter	Visual examination, ref-ISI handbook of food analysis part IV, 1984	Absent	Absent
6	Test for added colour	Paper Chromalography or ref:- Manual method-Fssai (Food Additives)	Negative	Negative

Opinion:- The sample of Dhania powder (Ashirvaad) Bearing code no. and serial no. AM-1296 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards (food products

standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 80 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 28.12.2020 से 31.12.2020 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि the sample to be **Salt, Spices condiments and related products falling under Regulation No. 2.9.7.2 Dhania Powder of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** एवं The sample of Dhania powder (Ashirvaad) Bearing code no. and serial no. AM-1296 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & Standards Act 2006. उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1296** धनिया पाउडर, आशीर्वाद ब्राण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zx)** के तहत अवमानक (sub-standard) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/166 दिनांक 04.01.2021 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में धारा 46 (4) के तहत प्रस्तुत अपील अभिहित अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित सुनवाई के खारिज कर देने का कथन किया है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के पत्रांक/एफएसएसए/2021/1188 दिनांक 17.03.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 46(4) के तहत अप्रार्थीगण द्वारा अपील निर्धारित समयावधि 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत करने से अप्रार्थीगण की अपील अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा खारिज की गई है।

इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/4086 दिनांक 04.10.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की

अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 13 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात, धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों एवं धारा 27 में विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–
  - (a) Supplied after the date of its expiry; or
  - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  - (c) Unsafe or misbranded; or
  - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  - (f) received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or
(b) handled or kept in unhygienic conditions; or
(c) misbranded; or
(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाघ पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 श्री ओम प्रकाश गदिया पुत्र हरक लाल गदिया, उम्र 47 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सावा विक्रेता एवं मालिक श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी सावा एवं अप्रार्थी संख्या 2 मालिक आशा गदिया, श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सावा को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

Web Copy - Not Official

चूंकि अप्रार्थीगण की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, जिससे अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 1 श्री ओम प्रकाश गदिया पुत्र हरक लाल गदिया, उम्र 47 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी बस स्टैण्ड के पास, सावा विक्रेता एवं मालिक श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी सावा एवं अप्रार्थी संख्या 2 मालिक आशा गदिया, श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने, सावा को संयुक्त रूप से राशि 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।' पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़